जल संसाधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर-अटल नगर

अटल नगर दिनांक 22/03/2021

क्र. 1501 /एफ-1-31/31/एम-2/2020

प्रति,

मुख्य अभियंता,
महानदी गोदावरी कछार
जल संसाधन विभाग
रायपुर (छ.ग.)

विषय:- दुर्ग जिले के विकासखंड-पाटन की खारून नदी में ठकुराईनटोला घाट के पास लक्ष्मण झूला निर्माण कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ - 1. प्रमुख अभियंता का पत्र क्र.-63/बा.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/2020/6042, दिनांक 01.07.2020
2. मुख्य अभियंता का पत्र क्रमांक-25/डी-2/मगोक/2020/481, रायपुर दिनांक 23.01.2021

---00---

राज्य शासन एतद् द्वारा दुर्ग जिले के विकासखंड-पाटन की खारून नदी में ठकुराईनटोला घाट के पास लक्ष्मण झूला निर्माण कार्य हेतु लागत राशि रु. 1940.35 लाख (रुपये उन्नीस करोड़ चालीस लाख पैंतीस हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना अन्तर्गत सस्पेंशन ब्रीज का निर्माण सहित स्टील गार्डर का निर्माण, सस्पेंशन ब्रीज को मंदिर से जोड़ने हेतु स्टील फुटब्रिज का निर्माण, नदी के दोनों तटों का सुरक्षात्मक कार्य, पी.सी.सी एबटमेंट का निर्माण, रिटेनिंग वॉल का निर्माण, दोनों तटों में गार्डन, म्यूजिकल फाउन्टेन एवं मनोरंजन केन्द्र का निर्माण, बाउंड्रीवाल का निर्माण, सड़क एवं गार्डन में विद्युतीकरण एवं प्रकाश व्यवस्था, पार्किंग एवं चौकीदार हेतु आई टाइप क्वाटर का निर्माण एवं अन्य कार्य प्रस्तावित है।

3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।

4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।

5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-45 लघु सिंचाई निर्माण कार्य 4702 लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय (102)-भूतल जल, 0101 राज्य आयोजना (सामान्य) (5059) एनीकट/स्टापडेम निर्माण 26 वृहद निर्माण कार्य, 005 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।

6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.-1391/बजट-2/वित्त/चार/2021, दि. 12.03.2021 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।

8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।

9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

22/03/2021

([illegible])
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

पृ.क्र. 1502 /एफ-1-132/31/एस-2/2019 अटल नगर, दिनांक 23/03/2021

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. विशेष सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
9. संचालक, जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस. यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, तांदुला जल संसाधन संभाग दुर्ग, जिला-दुर्ग।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

15. आदेश फोल्डर।

22/03/2021

अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग